यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 131 /2020 तारीखरजू:– 14-12-2020

उनवान:– कमल बनाम फत्ते सिंह वगै0

दावा वावत तकारमा, स्थायी निषेधाज्ञा 53, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
14/12/2020	वादी की और से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 24.12.2020 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	6354-62 14-12-2020
24.12.20	वादी वकील उप0। प्रतिवादी नं: 2, 4, 5, 6, 8 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं: 1, 3, 7, 9 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। P.O. साहब भ्रमण पर पधारे हैं, आईन्दा दिनांक 4-1-21 को पेश हो।	
4.1.21	वकुलाय उप0। प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 7, 9 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है शेष प्रतिवादीगण का जबाब पेश करने दिनांक 27.1.21 को पेश हो।	
27.1.21	वकील अपपक्ष उप0। जबाव पेश करने दिनाँक 24.2.21 को पेश हो।	
24.2.21	वादीगण की ओर से श्री सुनील [illegible] जिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश [illegible] जबाव पेश करने दिनाँक 6.4.21 को पेश हो।	
6.4.21	वकुलाय उप0। जबाव पेश करने दि0 3.5.21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टो

दिनांक	फर्द अहकाम
23/6/25	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील कोई उपस्थित नहीं बार-बार आवाजें दिलाई गई इसके बावजूद भी वादी व वादी वकील कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए वादी का दावा बाबत तकासमा स्थायी निषेधाज्ञा वादी व वादी वकील की अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:36 IST
Reason: SelfAttested